an>

Title: Need for expediting the proposal for inclusion of 38 languages including Rajasthani in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के प्रस्तावों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि संसद के दोनों सदनों के लगभग सभी सदस्यगण किसी न किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के पक्ष में हैं। जब संविधान लागू हुआ था, तब 14 भाषाएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित थीं। समय-समय किये गये संविधान संशोधनों के माध्यम से आज 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यहां बोली जाने वाली भाषा, संस्कृति पूरे देश की धरोहर रूपी सभ्यता है। भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाओं का अपना इतिहास है, स्वयं की अपनी-अपनी रचनायें, कवितायें, लोकगीत, रागनियां, भजन, धारावाहिक, फिल्में आदि हैं।

समय-समय पर सदन में उठती मांग पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि 15वीं लोक सभा के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी ने प्राइवेट मेंबर बिल के अन्तर्गत जवाब देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार ने भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री सीताकांत मोहापात्रा की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में एक कमेटी बनायी थी। कमेटी ने वर्ष 2004 में रिपोर्ट तैयार कर संस्तुति के साथ मंत्रालय को भेजी थी, जिस पर कार्यवाही अभी तक भी मंत्रालय में चल रही है। वर्तमान में विभिन्न भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अपेक्षित है, इस हेतु आयोग ने 17.7.2009 को एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट न प्राप्त होने के कारण केन्द्र सरकार निर्णय लेने में असफल है।

जहां तक मुझे जानकारी है, भारत सरकार के पास 38 भाषाओं को सम्मिलित करने के प्रस्ताव लंबित है, जिसमें राजस्थानी भाषा भी एक है, जिसे देश और विदेश में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाषा का अपना साहित्य, इतिहास, सिनेमा, गायन भी है। राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव वर्ष 2003 में राजस्थान विधान सभा द्वारा संसद को अपनी सहमति के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद

सदन में चर्चा के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री जी ने 17 दिसम्बर, 2006 को भाषा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था, परन्तु इस बार मैं राजस्थानी भाषा में कहना चाहूंगा कि " ई बार राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलणी चायजे। "

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा सहित सभी प्रस्तावित भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।